



टोकन व्यवस्था के लिये रज़िर्व बैंक के दशा-नरिदेश

चरचा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने कार्ड से कयि जाने वाले लेन-देन में सुरक्षा को और अधिक मज़बूती प्रदान करने के लिये नई 'टोकन' व्यवस्था के लिये दशा-नरिदेश जारी कयि हैं।

क्या है टोकनाइज़ेशन (Tokenisation)?

- इस प्रक्रिया में कार्ड के संवेदनशील ववरिण को एक यूनिक कोड वाले टोकन में बदल दयिा जाता है।
- प्वाइंट-ऑफ सेल (Point Of Sale-POS) टर्मिनलस, क्विक रसिपांस (Quick Response-QR) कोड के ज़रयि संपर्क रहति भुगतान करने के लिये कार्ड की वास्तवकि जानकारी के स्थान पर टोकन का प्रयोग कयिा जाता है।

प्रमुख बदि

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने सभी कार्ड भुगतान नेटवर्क को टोकन सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है। साथ यह भी स्पष्ट कयिा है कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिये ग्राहक से कोई शुल्क नहीं वसूला जाना चाहयि।
- टोकन के ज़रयि लेन-देन की सुवधि फलिहाल मोबाइल और टेबलेट के ज़रयि उपलब्ध होगी।
- एक कार्डधारक टोकन अनुरोधकर्त्ता के एप पर कार्ड पंजीकृत करने और स्पष्ट सहमति देने के बाद इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
- भारतीय रज़िर्व बैंक के अनुसार, कार्ड से लेन-देन की सुरक्षा और प्रमाणीकरण के अतरिकित कारक (Additional Factor of Authentication-AFA) / पनि प्रवषिट के लिये सुरक्षा के सभी वसित्त नरिदेश भी लागू होंगे।
- कसिी भी कार्ड को टोकन व्यवस्था के लिये पंजीकृत करने का काम उपभोक्ता की वशिषिट सहमति के बाद ही कयिा जाएगा।

सुरक्षा उपाय

- RBI के अनुसार, कार्ड के टोकनाइज़ेशन और टोकन व्यवस्था से हटाने का काम केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा ही कयिा जाएगा।
- इसमें मूल प्राथमकि खाता नंबर (Permanant Account Number-PAN) की रकिवरी भी अधिकृत कार्ड नेटवर्क से ही हो सकेगी।
- इसके अलावा, वास्तवकि कार्ड डेटा, टोकन और अन्य से संबंधति ववरिण एक सुरक्षति मोड में संग्रहीत कयिे जाएंगे और टोकन अनुरोधकर्त्ताओं को PAN या कसिी अन्य कार्ड ववरिण को संग्रहीत करने की अनुमति नहीं है।
- RBI के अनुसार, कार्ड टोकन सेवाओं के लिये अंतमि ज़मिमेदारी अधिकृत कार्ड नेटवर्क की है।

स्रोत : द हदि